**Fourteenth Loksabha**

**Session : 4**
**Date : 03-05-2005**

**Participants : Suman Shri Ramji Lal**

>

Title: Need to prevent alleged exploitation of child labourers engaged in commercial units in Delhi and other parts of the country.

**श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद)** : महोदय, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे बच्चों की बाबत राट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं यूनीसेफ की अभी हाल ही की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक देश की व्यावसायिक इकाइयों में 40 प्रतिशत बच्चों को शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। 12 प्रतिशत बच्चों के साथ मारपीट एवं गाली-गलौच तथा 12 प्रतिशत बच्चे यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं। इन बच्चों की छोटी-मोटी गलती पर निर्मम पिटाई भी की जाती है। शेा 36 प्रतिशत सभी प्रकार की शारीरिक यातनाएं झेलने को मजबूर हैं। राट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुछ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा कुछ नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर दलाल लावारिश एवं किन्हीं कारणों से घर से भाग कर आए बच्चों की तलाश में सक्रिय रहते हैं। जब कोई भूखा-प्यासा किशोर दिखाई देता है तो उसे प्रलोभन देकर ये लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर उस बच्चे को नारकीय स्थान पर भेज दिया जाता है। औसतन 15 से लेकर 20 बच्चे तक इन दलालों के शिकार होते हैं। यहीं से दिल्ली के अतिरिक्त अन्य बड़े शहरों में भी बच्चों की सप्लाई होती है। वेतन के नाम पर उन्हें सिर्फ दो वक्त की रोटी दी जाती है। नौ साल से 14 साल की उम्र के इन बच्चों से 18 घंटे तक काम लिया जाता है। दिल्ली में घौंडा, सीलमपुर, ओखला, जहांगीरपुरी की व्यावसायिक इकाइयों में इस प्रकार के बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार इस गम्भीर समस्या पर संज्ञान ले ताकि इन बच्चों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराया जाये एवं दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।